न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,सिरोही राजस्थान
बईजलास पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड,आर.ए.एस.
न्याय आपके द्वार अभियान2018 के तहत रा.लो.अ. केंप कोर्ट अटल सेवा केन्द्र वेलांगरी

रा.प्रा.पत्र संख्या 19/2018

प्रार्थी कानाराम पुत्र नगारामजी जाति कलबी पेशा खेती निवासी पामेरा तह.रेवदर जिला सिरोही	बनाम	अप्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही

उपस्थित :-
अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राज.अभिधृति अधिनियम के तहत वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने

निर्णय दिनांक 18-6-2018

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) की उपधारा (1) राजस्थान अभिधृति अधिनियम के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते खातेदारी कृषि भूमि मे जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता देने बाबत इस न्यायालय मे दिनांक 1-2-2018 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थी के मौजा आमली पटवार हल्का वेलांगरी तहसील सिरोही के खसरा नंबर 28 रकबा 3.42 हेक्टेयर खातेदारी कब्जे काश्त की है। उक्त कृषि आराजी प्रार्थी धारण करते है तथा काश्त कर अपने तथा अपने परिवार का भरण पोषण करत है।प्रार्थी अपनी कृषि आराजी पर आने जाने के लिये तथा मवेशी ट्रेक्टर,बैलगाडी आदि के लिये राजस्व रेकर्ड मे कोई रास्ता दर्ज नही है। मौजा आमली के खसरा नंबर 21 मे प्रस्तावित रास्ते के नक्शे मे स्थित रास्ते से आते जाते थे,जो वर्तमान मे खातेदार द्वारा बंद कर दिया गया है जिससे प्रार्थी अपनी आराजी पर आ जा सकू । प्रार्थी अपनी कृषि आराजी के लिये रास्ता चाहता है जिसके लिये यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया है। अतः प्रार्थी के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा आमली पटवार हल्का वेलांगरी तहसील सिरोही के खसरा नंबर 28 रकबा 3.4200 हेक्टेयर आराजी मे आने जाने हेतु रास्ता खसरा नंबर 21 के नक्शे मे प्रस्तावित रास्ता के पास मे 15 फीट चौडा रास्ता नही है जिसमे से प्रार्थी अपनी आराजी मे आते जाते है। अप्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते को बंद कर दिया है जिससे प्रार्थी अप्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी मेसे अपनी आराजी मे आने जाने हेतु 15 फीट चौडा रास्ता प्रार्थी को दिलाया जावें । इसके लिये प्रार्थी नियमानुसार शुल्क राशि वहन करने को तैयार है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि जमाबंदी संवत 2072 से 2075 ग्राम मौजा आमली पटवार हल्का वेलांगरी तहसील सिरोही के खसरा नंबर 28 रकबा 3.4200 हेक्टेयर तथा अप्रार्थी भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार,सिरोही)के जमाबंदी संवत 2072 से 2075 कि खाजा नेअर 01 राजस्थान सरकार के खसरा नंबर 21 रकबा 8.04 हेक्टेयर किस्म बंजर,नक्शा किशतवार का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया तो न्यायालय प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से आश्वस्त होने से दिनांक 1-2-2018 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया जिस पर इस न्यायालय मे सुनवाई दिनांक

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

Continue Page No2

 प्रकरण संख्या 19/2018

कानाराम बनाम स्टेट

26–2–2018 को नोटिस तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया । अप्रार्थी स्टेट पैरोकार सरकार जवाब पेश करने हेतु समय चाहने से समय दिया गया ।

आज दिनांक 18–6–2018 को विचारण प्रकरण की यह पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र वेलांगरी मे मेरे समक्ष पेश हुई । प्रार्थी व उनके वकील सूचना के बावजूद दौराने सुनवाई केम्प कोर्ट मे हाजिर नही हुये है तथा अप्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार/सिरोही ने जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया । तहसीलदार/सिरोही ने अपनी बहस मे जवाब मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम आमली पटवार हल्का वेलांगरी तहसील सिरोही मे खातेदारी खसरानंबर 28 रकबा 3.42 हेक्टेयर प्रार्थी खातेदार कानाराम पुत्र नगाराम चौधरी जाति कलबी सा. पामेरा तहसील रेवदर जमाबंदी संवत 2072 से 2075 अनुसार दर्ज है। प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी मे आने जाने हेतु रास्ते के उपयोग हेतु अप्रार्थी भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार/सिरोही के बिलानाम सरकार सिवाय चक खसरा नंबर 21 का उपयोग करता है जो खसरा नंबर 22 के मेड के सहारे सहारे होकर रास्ते का उपयोग करता है। मौके पर खसरा नंबर 21 मेसे रास्ता लाल स्याही से नक्शा ट्रेस मे अंकित है। जिसका कुल क्षैत्रफल 592 मीटर अर्थात 0.0592 हेक्टेयर होता है। सिवायचक खसरा नंबर 21 रकबा 8.04 हेक्टेयर किस्म बजर मेसे 0.0592 हेक्अेयर कम कर रास्ता दिया जा सकता है। ग्राम आमलजी की वर्तमान डी.एल.सी. दर असिंचित की 97/920/– की प्रति हैक्अेयर होने से 0.0592 हेक्टेयर की राशि रूप्ये 5797/– रूप्ये भूमि की कीमत होती है। जो वसूल की जाने योग्य है। नियमानुसार राशि अदा किये जाने पर रास्ता सिवाय चक मेसे दिया जाना उचित है। विचारण सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के अनुसार प्रार्थी ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि मेसे होकर विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले मे पहुॅचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया है। अतः अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार/सिरोही के सिवाय चक उक्त खसरा नंबर 21 रकबा 8.04 हेक्टेयर किस्म बंजर की कृषि भूमि जो राजकीय बिलानाम है उस मेसे 0.0592 हेक्टेयर कम कर दिया जा सकता है। अतः प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी मे होकर आने जाने के लिये मवेशी/ट्रेक्टर/बैलगाडी आदि के लिये रास्ते की सुविधाजनक उपयोग के लिये आत्यांतिक आवश्यकता होने से प्रार्थी द्वारा मांगी गई उक्त जगह से रास्ता दिया जाने के स्थान पर तहसीलदार/सिरोही द्वारा प्रस्तावानुसार जगह से रास्ता दिया जाकर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया जाना न्यायोचित है। उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट का विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार/सिरोही का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः मौजा आमली पटवार हल्का वेलांगरी तहसील सिरोही जिला सिरोही के अप्रार्थी भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार/सिरोही) के जमाबंदी संवत 2072 से 2075 के खाता नंबर 01 बिलानाम सरकार सिवाय चक खसरा नंबर 21 रकबा 8.04 हेक्टेयर मेसे रास्ता लाल स्याही से नक्शा ट्रेस मे अंकित है जिसकी लुंबाई 148 मीटर एवं चौडाई 4 मीटर प्रस्तावित है। जिसका कुल क्षैत्रफल 592 मीटर अर्थात 0.0592 हेक्टेयर होता है। उक्त भूमि रास्ते के रूप मे सार्वजनिक रास्ते के लिये स्वीकृत की जाती है। तथा प्रार्थी को ग्राम आमली की वर्तमान डी.एल.सी. दर असिंचित कर की 97920/– प्रति हेक्टेयर

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Continue Page No 3

होने से 0.0592 हेक्टेयर की राशि रूपये 5797/– भूमि की कीमत होती है जो वसूल की जाने योग्य है। नियमानुसार राशि अदा किये जाने पर रास्ता सिवाय चक मेसे दिया जाना उचित है। अतः उक्तानुसार नियमानुसार प्रतिकर की राशि प्रार्थी द्वारा खजाने राज जमा कराना होगा ।उक्त रास्ते की स्वीकृत की गई भूमि के प्रतिकर की रकम निम्नलिखित रीति से अवधारित करने हेतु तहसीलदार, सिरोही को आदेश दिये जाते है:–

(क) राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरों या किसी नये मार्ग के खोलने या विधमान मार्ग के विस्तार या चौडा करने के मामले मे राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों का दुगुना और

(ख) उपनियम (1) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन अवधारित भूमि के मुल्य के अतिरिक्त यदि खडे वृक्ष फसल या संरचनाओ को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम अवधारित की जायेगी ।

प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते की भूमि की किमत अवधारित की जाकर तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रस्तावित प्रार्थी को ग्राम आमली की वर्तमान डी.एल.सी. दर असिंचित कर की 97920/– प्रति हेक्टेयर होने से 0.0592 हेक्टेयर की राशि रूपये 5797/– भूमि की कीमत तहसील कार्यालय सिरोही मे जमा करवाने व रास्ते के लिये प्रस्तावित कृषि भूमि के खातेदार अप्रार्थी भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार, सिरोही) को उपरोक्तानुसार राशि का भुगतान करने पर तहसीलदार, सिरोही को अप्रार्थी भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार, सिरोही) की खातेदारी की उक्त बिलानाम सिवाय चक खसरा नंबर 21 रकबा 8.04 हेक्टेयर मेसे लुबाई 148 मीटर एवं चौडाई 4 मीटर प्रस्तावित है। जिसका कुल क्षैत्रफल 592 मीटर अर्थात 0.0592 हेक्टेयर होता है। उक्तानुसार अप्रार्थी तहसीलदार, सिरोही के सिवाय चक खाते की खसरा नंबर 21 रकबा 8.04 हेक्टेयर मेसे उक्त प्रस्तावित लुबाई 148 मीटर एवं चौडाई 4 मीटर प्रस्तावित है। जिसका कुल क्षैत्रफल 592 मीटर अर्थात 0.0592 हेक्टेयर होता है कि उक्त रास्ते की भूमि कम की गई आराजी को राजस्व रेकर्ड मे किस्म गैरमुमकिन सार्वजनिक रास्ता श्री सरकार बिलानाम खाते मे दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 18–6–2018 को न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र वेंलांगरी मे मजमे आम मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

18/6/18

सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

सहायक कलक्टर
सिरोही (राज०)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिरोही (राज०)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 18–6–2018 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

18/6/18

सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

सहायक कलक्टर
सिरोही (राज०)